न्यायालय:– द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण कमांकः 70 / 2014 संस्थित दिनांक-21 / 4 / 14

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला–भिण्ड (म०प्र०)

वि रू द्ध

- छोटे पुत्र पन्नालाल माहौर 24 साल
- रामनिवास उर्फ गढा पिता पन्नालाल माहौर, उम्र-27 साल

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री अशोक राणा अधिवक्ता ।

-::- नि र्ण य -::-(आज दिनांक 17 जुलाई **2014** को खुले न्यायालय में घोषित)

- समझौता उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 326 / 34 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप शेष है कि उन्होंने दिनांक 9/9/2013 को रात करीब एक बजे फरियादी बंटी उर्फ रामरूप सिंह के मकान के पास सह अभियुक्त के साथ मिलकर उसे सख्त व धारदार वस्तु से मारकर उसके दाहिने कंधे पर फैक्चर पहुंचाकर गंभीर उपहति कारित की ।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य आपसी समझौता हो जाने से आरोपीगण को धारा-323 / 34 भा.दं.वि.के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है मात्र अपराध धारा–326 / 34 भा.दं.वि. के तहत विचारण शेष है एवं यह भी निर्विवादित स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण आपस में सगे भाई हैं एवं आरोपीगण की गिरफतारी भी स्वीकृत है ।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 09/9/13 को फरियादी बंटी उर्फ रामरूप ने थाना मालनपुर पर आकर मौखिक रिपोर्ट की कि कल उसने एवं आरोपीगण ने मिलकर सब्जी मण्ड में शराब पी थी, शराब पीते समय फरियादी का मोबाइल छोटे सिंह के पास रह गया, जब वह घर आया तो फरियादी को उसका मोबाइल जेब में नहीं मिला, जब उसने अपना मोबाइल आरोपी छोटेलाल से मांगा तो दोनों आरोपीगण ने लात घूसों से उसकी मारपीट की तथा एक डण्डा रामनिवास

ने उसको मारा जो उसके दाहिने ओर कंधे में लगा, मूंदी चोट आयी, आवाज सुनकर उसकी पत्नी सपना उसे बचाने आयी ।

- 4— उक्त आशय की रिपोर्ट अदम चैक 63/13 पर लेखबद्ध की जाकर आहत बंटी का मेडीकल करवाया गया, मेडीकल उपरांत थाना मालनपुर के असल अपराध क्रमांक—19/14 अंतर्गत धारा—323, 325 भा.दं. वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गयी । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया ।
- 5— जे०एम०एफ०सी० श्री संतोष सिंह द्वारा दिनांक—5/2/14 को पारित आदेशानुसार अभियोगपत्र के अवलोकन उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा—326 भा.द.वि. के अपराध का इजाफा किया गया । अतः प्रकरण उपार्पित किए जाने पर मा० सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।
- 6— अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 326/34, 323/34 भा०द०वि० के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में उन्होंने रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव पक्ष ने उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 7- प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - अ— क्या, दिनांक दिनांक 9/9/2013 को रात करीब एक बजे समता नगर मालनपुर में फरियादी बंटी उर्फ रामरूप सिंह को घोर उपहति पहुचाने के लिए आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया ?
 - ब— क्या, आरोपी ने फरियादी को उक्त सुसंगत घटना में निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में खतरनाक आयुधों या खतरनाक साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित की ?
- 8— अभियोजन की ओर से प्रकरण में बंटी उर्फ रामरूप सिकरवार (अ०सा० 1), श्रीमती सपना (अ०सा० 2), देवेन्द्र शर्मा (अ०सा० 3), डॉ. आलोक शर्मा (अ०सा० 4) गजेन्द्र सिंह (अ०सा०5), ओमवीरसिंह (अ०सा०6) एवं श्याम प्रताप सिंह (अ०सा० 7) की साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं हुई है ।

-::-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न कमांक— अ एवं ब का निराकरण

9— उक्त विचारणीय विंदु का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।

परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर आलोक शर्मा अ.सा.-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक-9/9/13 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुए डाक्टर राजेन्द्र तरेटिया के साथ में कार्य करने से उनके लेख, हस्ताक्षरों से परिचित रहते हुए उनके द्वारा आहत बंटी की चोट की दी गयी मेडीकल रिपोर्ट के संबंध में साक्ष्य दी है और यह बताया है कि डाक्टर राजेन्द्र तरैटिया द्वारा आहत बंटी के दाहिने क्लेरिकल हडडी के अंदर के भाग में एक कटा हुआ घाव 1 X 2 से.मी. का पाया था, जिसके एक्सरे की सलाह दी गयी थी और दांये घुटने पर 2.5 X 2 से.मी. की रगड़ का निशान तथा बांये घूटने पर 3 🗶 1 से.मी. का रगड़ का निशान पाया था। दोनों घुटनों की चोटें साधारण प्रकृति की थीं तथा चोट क्रमांक-1 धारदार वस्तु से शेष, सख्त भौथरे वस्तु से परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की होने का अभिमत देते हुए प्रदर्श पी.-7 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार की गयी थी, जिसपर डाक्टर तरेटिया के हस्ताक्षर ए से ए भाग पर हैं । उनके द्वारा ही चोट क्रमांक-1 का एक्सरा परीक्षण करने पर उसमें दाहिने क्लेरिकल नामक हडडी में अस्थि भंजन पाया गया था । जिसकी डाक्टर तरेटिया ने प्रदर्श पी.-8 की एक्सरे रिपोर्ट दी थी ।

11— उक्त चिकित्सक ने यह भी अपनी अभिसाक्ष्य मं कहा है कि दिनांक—29/1/14 को थाना प्रभारी मालनपुर द्वारा एम.एल.सी. व एक्सरे रिपोर्ट बाबत क्वेरी भेजी गयी थी और चोट क्रमांक—1 में कटा घाव बताये जाने तथा फरियादी द्वारा डण्डे से चोट बताये जाने के आधार पर मत चाहा था, जिसपर डाक्टर तरेटिया द्वारा यह अभिमत दिया गया था कि डण्डे से कटा घाव (इनसाइज बून्ड) आना संभव नहीं है । जिसकी प्रदर्श पी.—9 की क्वेरी रिपोर्ट तैयार करना भी बताया है । पैरा—4 में चिकित्सीय अनुभव के आधार पर परीक्षित चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि डण्डे या लाठी से इन्साइज बून्ड नहीं आ सकती है ।

12— इस तरह से अभिलेख पर जो चिकित्सीय साक्ष्य है, उमसें प्रदर्श पी.—7 से प्रदर्श पी.—9 में विरोधाभासी चिकित्सीय राय व्यक्त की गयी है । धारा—326 भा.दं.वि. के लिए खतरनाक आयुधों या साधनों से घोर उपहित आना आवश्यक है तथा न्याय दृष्टांत जोसफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल 1995 एस.सी.सी.(किमिनल) पेज—165 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि लाठी घातक आयुध की श्रेणी में नहीं आती है और वर्तमान प्रकरण में जब्त

की गयी लाठी डण्डे के रूप में बतायी है और हस्तगत् प्रकरण में कथानक में ही लाठी और डण्डों से मारना बताया है ।

- 13— ऐसे में उपलब्ध विरोधाभासी चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर धारा—326 भा.दं.वि. के लिए आवश्यक संघठकों की पूर्ति चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है । ऐसे में प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर यह विश्लेषित करना होगा कि क्या प्रत्यक्ष साक्ष्य से विरचित आरोप युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित हो सकते हैं अथवा नहीं ? क्योंकि विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी तथ्य विशेष को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है । जैसाकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम —134 उपबंधित करती है ।
- 14— घटना के आहत फरियादी बंटी उर्फ रामरूप अ.सा.—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि करीब एक साल से पुरानी घटना है, रात का समय था वह अपने घर के समाने बैठा था, तब आरोपीगण शराब पीकर आये और दोनों ने उसे किस चीज से मार दिया था जिससे उसे कंधे में चोटें आयी थीं और फैक्चर हो गया था, थोडा खून निकला था, किस चीज से मारा, यह वह नहीं देख पाया । घुटनों में खरोंच आ गयी थी और उसकी पत्नी ने उसे बचाया था और आरोपीगण भाग गये थे । वह रात भर घर रहा दूसरे दिन उसने थाना मालनपुर जाकर रिपोर्ट की थी । जो प्रदर्श पी.—1 है, पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था उसके कंधे में एक्सरे में फैक्चर निकला था, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं है कि आरोपी रामनिवास ने उसे कंधे में डण्डा मारा था, इस बात से उसने इंकार किया है कि उसे किसी सख्त भौथरे हथियार से चोट पहुंचायी, जिससे फैक्चर हुआ, इस तरह से उक्त घटना का आहत जो कि प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्व का साक्षी है । उसने स्पष्ट अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसे किस चीज से मारा गया है ।
- 15— यह साक्षी प्रदर्श पी.—1 की अदम चैक रिपोर्ट में रामनिवास के द्वारा डण्डे से मारना बताता है । प्रकरण में डण्डा जप्त बताया गया, किन्तु उसे साक्ष्य में पेश नहीं किया है और क्वेरी रिपोर्ट में चोट क्रमांक—1 डण्डे से आने से इंकार किया है । प्रदर्श पी.—6 के जब्ती पत्रक मुताबिक जो डण्डा जप्त हुआ वह बांस का है, बांस के डण्डे को खतरनाक आयुध या साधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है । ऐसी स्थिति में अ.सा.—1 के अभिसाक्ष्य से विरचित विचाराधीन आरोप का संदिग्ध हो जाता है और अभियोजन द्वारा भी आहत को पक्ष विरोधी घोषित किया गया है ।
- 16— प्रकरण में घटना की एक मात्र बतायी गयी चक्षुदर्शी साक्षी आहत बंटी उर्फ रामरूप की पत्नी श्रीमती सपना अ.सा.—2 के रूप में परीक्षित हुई है और उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में केवल यह बताया है कि आरोपीगण नशे में आये थे और उसके पति की मारपीट की थी । झगडे का

शोर सुनकर वह बाहर आयी थी । तब उसका पित जमीन पर पड़ा था और उसने उसे बचाया था । वह भी अंधेर के कारण यह नहीं बता सकता कि उसके पित की मारपीट किससे की गयी थी और उसने मारपीट की घटना देखने से भी इंकार किया, जिसके कारण उसे पक्ष विरोधी अभियोजन द्वारा घोषित किया गया और पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने पुलिस को प्रदर्श पी. —3 का कथन देने से भी इंकार किया है । समझौता हो जाने के आधार पर झूंटा कथन देने से वह इंकार करती है । इस तरह से उससे भी घटना का समर्थन नहीं होता है ।

17— देवेन्द्र शर्मा अ.सा.—3 जो कि आरोपीगण की गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी.—4 और 5 तथा डण्डे के जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.—6 का है, जिसने उक्त दस्तावेजों का कोई समर्थन नहीं किया है । बल्कि यह बताया है कि वह आरोपीगण की जमानत कराने के लिए थाने पर गया था तो पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करा लिये । गिरफतारी स्वीकार की गयी है इसलिये उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता शेष नहीं है ।

18— प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह अ.सा.—5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक—19/1/14 को थाना मालनपुर में एच.सी.एम. के पद पर रहते हुए प्रदर्श पी.—1 की अदम चैक रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्श पी.—10 की एफ.आई. आर. लेखबद्ध करना बताया है, किन्तु स्वयं आहत के समर्थन ना करने से एफ.आई.आर. का आधार प्रदर्श पी.—1 अदम चैक रिपोर्ट एवं चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन ना होने से उक्त साक्षी से एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.—10 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

19— प्रदर्श पी.—1 की अदम चैक रिपोर्ट प्रधान आरक्षक श्यामप्रताप सिंह अ.सा.—7 ने लेखबद्ध करना बतायी है । जिसे डण्डे से रामनिवास के द्वारा मारना बताया, जिसका स्वयं आहत ने समर्थन नहीं किया । ऐसे में अ.सा.—7 के अभिसाक्ष्य से प्रदर्श पी.—1 की अदम चैक रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है तथा शेष विवेचना प्रधान आरक्षक ओमवीर सिंह अ. सा.—6 ने करना बताया है, जिसमें उसने फरियादी बंटी की निशादेही पर प्र. पी.—2 का नक्शा मौका तैयार करना, साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना, आरोपीगण की गिरफतारी प्र.पी.—4 और 5 के द्वारा करना और आरोपी रामनिवास से प्रदर्श पी.—11 का अभियोगपत्र पेश करना बताया है। लेकिन उसके अनुसंधान का स्वयं आहत और चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.—1 और 2 से समर्थन ना होने से विवेचक के अभिसाक्ष्य मुताबिक कोई भी दस्तावेज को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

20— ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण में चिकित्सीय राय भिन्न है और प्रत्यक्ष साक्ष्य अस्पष्ट है । धारा—326 भा.दं.वि. का विरचित आरोप युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है तथा जहां तक आरोपीगण का सामान्य आशय का प्रश्न है, जिसके संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि दोनों अभियुक्तों के द्वारा बंटी उर्फ रामरूप को स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति खतरनाक आयुधों या साधनों से पहुचाने के लिए कोई मंत्रणा कर सामान्य आशय का निर्माण किया ।

- 21— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत विष्णू विरूद्ध म.प्र. राज्य 1989 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट—170 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां मेडीकल रिपोर्ट से घटना का समर्थन ना हो तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य में विरोधाभास हो, तो घटना संदिग्ध होगी। यह सिद्धांत इस मामले में भी लागू किए जाने योग्य है।
- 22— इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन युक्ति युक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि दिनांक—9/9/13 को आरोपीगण ने रात करीब 1 बजे समता नगर मालनपुर में बंटी उर्फ रामरूप सिंह को खतरनाम आयुधों या साधनों से उसे गंभीर किस्म की उपहित कारित करने के लिए आपस में मिलकर कोई सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में उसके दांये कंधे पर ऐसे हथियार से कोई गंभीर उपहित कारित की ।
- 23— फलतः आरोपीगण को विरचित आरोप धारा—326 / 34 भा.दं.वि. के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है ।
- 22- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है ।
- 23— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मुताबिक निराकरण हो ।

दिनांकः 17 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड